

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 19—दिसम्बर 25, 2015 (अग्रहायण 28, 1937)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 19—DECEMBER 25, 2015 (AGRAHAYANA 28, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 28 सितम्बर 2015

बैंकिंग.आईबीडी. सं. 4293/23.03.027/2015-16--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :--

“राबोबैंक इंटरनेशनल (कोओपरेटिव सेंट्रल राइफ़फ़ेसेन - बोएरेन्लीनबैंक बी. ए.)” शब्दों के स्थान पर “कोओपरेटिव सेंट्रल राइफ़फ़ेसेन - बोएरेन्लीनबैंक बी. ए.” शब्द होंगे।

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 6 अक्टूबर 2015

बैंकिंग.आईबीडी. सं. 4793/23.13.065/2015-16--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :--

“कोरिया एक्स्चेंज बैंक कम्पनी लि.” शब्दों के स्थान पर “केईबी हाना बैंक” शब्द होंगे।

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2015

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.16/एमडीएंडसीईओ/2015-राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (इसके बाद प्रधान निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा :

अनुसूची I का संशोधन

प्रधान निर्देशों की अनुसूची I में निम्नलिखित समाविष्ट किए जाएंगे, यथा :-

भाग 1(ग) में : क्षेत्र विवरण में दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत नए राज्य "तेलंगाना" समाविष्ट किया जाएगा।

भाग 4.1(घ) में : राज्य कॉलम में नए राज्य "तेलंगाना" और मद कोड के अंतर्गत "36" समाविष्ट किया जाएगा, यथा :-

(राशि लाख रु. में)

राज्य	मद कोड	नए मकानों का अधिग्रहण/निर्माण				मौजूदा मकानों के उन्नयन सहित बड़ी मरम्मत				पुराने/मौजूदा मकानों की खरीद (पुनःबिक्री)				कुल		वर्ष के दौरान चुकता	31 मार्च को बकाया
		शहरी		ग्रामीण		शहरी		ग्रामीण		शहरी		ग्रामीण					
		सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
तेलंगाना	36																

भाग 4.1(ड.) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तहत नए राज्य "तेलंगाना" और मद कोड के अंतर्गत "36" समाविष्ट किया जाएगा, यथा :

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	मद कोड	संवितरण												वर्ष के दौरान चुकता (करोड़ रु. में)	31 मार्च को बकाया (करोड़ रु. में)
राज्य		2 करोड़ रु. तक		2 करोड़ रु. से अधिक और 5 करोड़ रु. तक		5 करोड़ रु. से अधिक और 15 करोड़ रु. तक		15 करोड़ रु. से अधिक और 25 करोड़ रु. तक		25 करोड़ रु. और उससे अधिक		कुल			
		सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
तेलंगाना	36														

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक 9 अक्टूबर, 2015

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.17/एमडीएंडसीईओ/2015-राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (इसके बाद प्रधान निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा :

1. अनुच्छेद 27ए का संशोधन

प्रधान निर्देशों के अनुच्छेद 27ए में, उप अनुच्छेद (1) के खंड (क) व (ख) में निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(क) 30 लाख रुपये तक 90% से अधिक एलटीवी अनुपात सहित,

(ख) 30 लाख रुपये से अधिक एवं 75 लाख रुपये तक 80% से अधिक एलटीवी अनुपात सहित, एवं,”

2. अनुच्छेद 30 का संशोधन

प्रधान निर्देशों के अनुच्छेद 30 में, व्याख्या (1) में, उप व्याख्या (3) में –

(i) मद (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

	भारतीय जोखिम आस्तियां – तुलन पत्र की मदों पर	प्रतिशत भार
"ख)	(ख)(i) व्यक्तियों को संस्तुत 30 लाख रुपये तक का आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात $\leq 80\%$ है।	35
	(ख)(ii) व्यक्तियों को संस्तुत 30 लाख रुपये तक का आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात > 80 एवं $\leq 90\%$ है।	50
	(ख)(iii) व्यक्तियों को संस्तुत 30 लाख रुपये से अधिक व 75 लाख रुपये तक के आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक मानक/आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात $\leq 75\%$ है।	35
	(ख)(iv) व्यक्तियों को संस्तुत 30 लाख रुपये से अधिक व 75 लाख रुपये तक के आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक मानक/आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात $> 75\%$ एवं $\leq 80\%$ है।	50
	(ख)(v) व्यक्तियों को संस्तुत 75 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात $\leq 75\%$ है।	75
	(ख)(vi) वैयक्तिक आवास ऋणों के मामले में संपत्ति/उधारकर्ता के बीमा के प्रयोजनार्थ दिये गये ऋण।	वही यथा संबंधित आवास ऋण में लागू है।"

(ii) मद (गख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :—

	भारत जोखिम आस्तियां – तुलन पत्र की मदों पर	प्रतिशत भार
"ग)	(गख) मद (ख)(ख)(i), (ख)(ख) (ii) एवं (छ) में संदर्भित एवं ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटीकृत आवास ऋण का कोई हिस्सा	0"

3. अनुसूची II का संशोधन

प्रधान निर्देशों की अनुसूची II में, भाग घ में –

(i) मद III (च) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

मद का विवरण	मद कोड	बही मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
"च(i) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत आवास/परियोजना ऋण (निम्नलिखित नोट 4 का संदर्भ लें)	237(i)		0	
च(ii) व्यक्तियों को संस्तुत 30 लाख रुपये तक का आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात $\leq 80\%$ है।	237(ii)		35	
च(iii) व्यक्तियों को संस्तुत 30 लाख रुपये तक का आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात > 80 एवं $\leq 90\%$ है।	237(iii)		50	
च(iv) व्यक्तियों को संस्तुत 30 लाख रुपये से अधिक व 75 लाख रुपये तक के आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात $\leq 75\%$ है।	237(iv)		35	

च(v) व्यक्तियों को संस्तुत 30 लाख रुपये से अधिक व 75 लाख रुपये तक के आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात $> 75\%$ एवं $\leq 80\%$ है।	237(v)		50	
च(vi) व्यक्तियों को संस्तुत 75 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण जो अचल संपत्ति के बंधक/मोर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है एवं मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है व जिनमें एलटीवी अनुपात $\leq 75\%$ है।	237(vi)		75	
च(vii) वैयक्तिक आवास ऋणों के मामले में संपत्ति/उधारकर्ता के बीमा के प्रयोजनार्थ दिये गये ऋण।	237(vii)		वही यथा संबंधित आवास ऋण में लागू है।	

- (ii) मद III (छक) के विवरण में "(च)(ii) से (च)(iv)" शब्दों को "(च)(ii) से (च)(vi)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) मद III (छख) के विवरण में "(च)(ii) एवं (छ)" शब्दों को "(च)(ii), (च)(iii) एवं (छ)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) नोट 5 के विवरण में "(च)(ii) से (च)(iv)" शब्दों को "(च)(ii) से (च)(vi)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) नोट 5 के विवरण में "(च)(ii) एवं (छ)" शब्दों को "(च)(ii), (च)(iii) एवं (छ)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 28th September 2015

DBR.IBD.No.4293/23.03.027/2015-16—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely :—

For the words “Rabobank International (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.)” the words “Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.” shall be substituted.

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

The 6th October 2015

DBR.IBD.No.4793/23.13.065/2015-16—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely :—

For the words “Korea Exchange Bank Co., Ltd” the words “KEB Hana Bank” shall be substituted.

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 14th September 2015

No. NHB.HFC.DIR.16/MD&CEO/2015—In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions), shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely :

Amendment of Schedule I

In Schedule I of the principal Directions, following shall be inserted, namely :

In Part 1(C): New State “Telangana” shall be inserted under Southern Region in Region details.

In Part 4.1(D): New State “Telangana” under State column and “36” under Item Code, shall be inserted,namely :

(Amount in Lakhs of Rs.)

State	Item Code	Acquisition/ Construction of new houses				Upgradation including major repairs of existing houses				Purchase of old/existing houses (Resale)				Total		Repaid during the year	Outstanding as on March 31, ———
		Urban		Rural		Urban		Rural		Urban		Rural					
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Telangana	36																

In Part 4.1(E): New State “Telangana” under State/Union Territory and “36” under Item Code, shall be inserted, namely :

State/ Union Territory	Item Code	Disbursement												Repaid during the year (in crores)	Outstanding as on March 31, ———— (in crores)
		Upto Rs.2 crores		Above Rs.2 Crores and upto Rs.5 Crores		Above Rs.5 Crores and upto Rs.15 Crores		Above Rs.15 Crores and upto Rs.25 Crores		Rs.25 Crores and above		Total			
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Telangana	36														

SRIRAM KALYANARAMAN
Managing Director and Chief Executive Officer

The 9th October 2015

No. NHB.HFC.DIR.17/MD&CEO/2015—In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely –

1. Amendment to Paragraph 27A

In paragraph 27A of the principal Directions, clause (a) and (b) of sub-paragraph (1) shall be substituted by the following, namely: –

- “(a) upto Rs. 30 lakhs with LTV ratio exceeding 90%,
(b) above Rs. 30 lakhs and up to Rs.75 lakhs with LTV ratio exceeding 80%, and,”

2. Amendment to Paragraph 30

In paragraph 30 of the principal Directions, in the Explanation (1), in sub-explanation (3)-

(i) Item b) shall be substituted by the following, namely: –

	Weighted risk assets – On balance Sheet items	% Weight
“b)	(b)(i) Housing loans sanctioned to individuals up to Rs. 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets with LTV Ratio is $\leq 80\%$	35
	(b)(ii) Housing loans sanctioned to individuals up to Rs. 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets with LTV Ratio is > 80 and $\leq 90\%$	50
	(b)(iii) Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 30 lakhs and upto Rs. 75 lakhs secured by mortgage of immovable property which are classified as standard assets with LTV ratio is $\leq 75\%$	35
	(b)(iv) Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 30 lakhs and upto Rs. 75 lakhs secured by mortgage of immovable property which are classified as standard assets with LTV ratio is $> 75\%$ and $\leq 80\%$	50
	(b)(v) Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 75 lakhs secured by mortgage of immovable property which are classified as standard assets with LTV ratio is $\leq 75\%$	75
	(b)(vi) Loans given for the purpose of insurance of the property /borrower in case of individual housing loans	Same as applicable to the respective housing loan”

(ii) Item cb) shall be substituted by the following, namely: –

	Weighted risk assets – On balance Sheet items	% Weight
“c)	cb) Any portion of housing loans referred to in item (b)(b)(i), (b)(b)(ii) and (c) and guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust	0”

3. Amendment of Schedule II

In Schedule II of the principal Directions, in Part D-

(i) Item III(f) shall be substituted by the following, namely: –

Item description	Item Code	Book Value	Risk Weight	Adjusted Value
“f(i) Housing / Project Loans guaranteed by Central / State Government (Refer Note 4 below)	237(i)		0	
f(ii) Housing loans sanctioned to individuals up to Rs.30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets with LTV Ratio is $\leq 80\%$	237(ii)		35	

Item description	Item Code	Book Value	Risk Weight	Adjusted Value
f(iii) Housing loans sanctioned to individuals up to Rs.30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets with LTV Ratio is > 80 and $\leq 90\%$	237(iii)		50	
f(iv) Housing loans sanctioned to individuals above Rs.30 lakhs and upto Rs.75 lakhs secured by mortgage of immovable property which are classified as standard assets with LTV ratio is $\leq 75\%$	237(iv)		35	
f(v) Housing loans sanctioned to individuals above Rs.30 lakhs and upto Rs.75 lakhs secured by mortgage of immovable property which are classified as standard assets with LTV ratio is $> 75\%$ and $\leq 80\%$	237(v)		50	
f(vi) Housing loans sanctioned to individuals above Rs.75 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets with LTV ratio is $\leq 75\%$	237(vi)		75	
f(vii) Loans given for the purpose of insurance of the property / borrower in case of individual housing loans	237(vii)		As applicable to respective housing loan"	

- (ii) In Items III (ga) description, for the words "(f)(ii) to (f)(iv)" the words "(f)(ii) to (f)(vi)" shall be substituted.
- (iii) In Items III (gb) description, for the words "(f)(ii) and (g)" the words "(f)(ii), (f)(iii) and (g)" shall be substituted.
- (iv) In Note 5 description, for the words "(f)(ii) to (f)(iv)" the words "(f)(ii) to (f)(vi)" shall be substituted.
- (v) In Note 6 description, for the words "(f)(ii) and (g)" the words "(f)(ii), (f)(iii) and (g)" shall be substituted.

SRIRAM KALYANARAMAN

Managing Director & Chief Executive Officer

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in